न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 74/2021

श्रीमति नारायणी देवी पत्नि श्री अमरसिंह, निवासी साकेत नगर रोडा जी का बाड़िया, ब्यावर, जिला अजमेर

..................*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर

..........रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री समीर अहमद, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–19.09.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2077 में श्रीमति नारायणी देवी पत्नि श्री अमरसिंह, निवासी साकेत नगर रोडा जी का बाड़िया, ब्यावर, जिला अजमेर ने ग्राम गणेशपुरा के आराजी खसरा नम्बर 853/459 कुल रकबा 01–11–00 बीघा किस्म सड़क सिवायचक/चरागाह भूमि में अनाधिकृत रूप से 6'X6' की केबिन लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 63/2021 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 15.04.2021 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम कर मौके पर उपलब्ध पत्थरों की नीलामी करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.04.2021 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.04.2021 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। अपीलान्ट ने उसी दिन जवाब प्रस्तुत किया

अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये गये। उन्होने आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा दिनांक 03.03.2021 को 6'X6' का बूथ अस्थाई तौर पर दुग्ध संघ के नियम और शर्तों के तहत नगर परिषद ब्यावर के द्वारा अनुमत किया गया था। अपीलान्ट द्वारा डेयरी बूथ लगाने हेतु अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 ब्यावर रोड़, अजमेर के कार्यालय में दिनांक 23.02.2021 को राशि रूपये 20,000/– बतौर सिक्योरिटी जमा करवाये जाने के पश्चात डेयरी बूथ का आवंटन किया गया। उनका कथन है कि विवादित आराजी में सड़क पर अलग–अलग स्थानों पर एवं अलग–अलग खसरा नंबरान पर कई व्यक्तियों को इस प्रकार का बूथ आवंटित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में प्रश्नगत आराजी को सिवायचक/चरागाह भूमि होना अंकित किया है जबकि भूमि सड़क व सड़क के पास की होकर राजस्व अभिलेख में सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज है एवं तहसीलदार भू–धारक नहीं है। फलस्वरूप उन्हे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी से बेदखली की कार्यवाही किये जाने का विधि अन्तर्गत अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का अविधिक आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के पश्चात नगर परिषद ब्यावर को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 09.02.2021 को राशि रूपये 5000/– जरिये बैंक गारन्टी सुरक्षा के रूप में देते हुए मौके पर पूर्ण रूप से सरस दूध व दुग्ध पदार्थों के विक्रय हेतु केबिन स्थापित की गई है, जो कि विधि सम्मत कार्यवाही होने व अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने बाबत आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा सड़क की सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से केबिन लगाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है एवं आदेश पारित करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अजमेर द्वारा दिनांक 03.03.2021 को 6'X6' का बूथ अस्थाई तौर पर दुग्ध संघ के नियम और शर्तों के तहत नगर परिषद ब्यावर के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है एवं इसकी पालना में ही डेयरी बूथ स्थापित किया गया है। डेयरी बूथ हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रेकॉर्ड में सिवायचक/चरागाह दर्ज नहीं होकर खातेदार सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के नाम दर्ज है एवं तहसीलदार ब्यावर भू–धारक नहीं है। आराजी बाबत तहसीलदार, ब्यावर को राजस्थान

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विधि अन्तर्गत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 15.04.2021 निरस्त किया जाता है एवं अपील तहसीलदार ब्यावर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उक्त आराजी के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख एवं तथ्यों के आधार पर पुनः परीक्षण कर अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर